

9.7.16

पत्रावली भाग राजस्व लोक अदालत
लाहुर में दिनांक 26.7.16 से लोक
होकर देखा है। वही पत्रावली में
मूल दाना किन्ना वर लिखा है। कतः
इस पत्रावली पर जो चलाने का
कार्ड अतिरिक्त नहीं है कतः पत्रावली
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
के लिए मुद्रा होकर नमक से रूक रहे,

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़